

सं० सं०-टी-३/भवन-७०/२०१७-.....६३६/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

अपर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:-

पूर्व से स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी में नए प्रशासनिक भवन एवं कर्मशाला भवन के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 1333.00 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

/प ट ना, दिनांक- २१ / ०३ / २०१८

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है पूर्व से स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी में नए प्रशासनिक भवन एवं कर्मशाला भवन के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 1333.00 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-1799(भ०), दिनांक-26/02/18 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	राशि
1	Cost of Civil Works	9,21,04,057.00
2	Internal Electric Installations	98,62,378.00
3	Internal Water Supply and Sanitary Installations	31,55,961.00
4	External Service Connection	39,44,951.00
5	Approach Road and campus Development	39,44,951.00
	<b>SUM-</b>	<b>11,30,12,298.00</b>
6	Extra for Cost Index	83,62,910.00
7	Contingency @1.0% upto Rs.100 lac	1,00,000.00
	@0.5% above Rs.100 lac	5,56,876.00
8	Furniture/Furnishing	1,13,01,230.00
	<b>Total-</b>	<b>13,33,33,314.00</b>
	<b>Say Rs.-</b>	<b>1333.00 Lac</b>

- 2- इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, उप शीर्ष-0112-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-03-4059600510112, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष -0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रावधानित से की जायेगी। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्वतः आगे की वित्तीय वर्षों में संबंधित शीर्ष में उपबंधित/प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17-04-1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

- 6- प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।  
7- संचिका संख्या-टी-3/भवन-70/2017 के पृष्ठ-10/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन



अपर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3/भवन-70/2017 - 636 /प ट ना, दिनांक- 29/03/2018

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




अपर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3/भवन-70/2017 - 636 /प ट ना, दिनांक- 29/03/2018

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर /जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, सीतामढ़ी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतामढ़ी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

श्रम संसाधन विभाग